न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

निगरानी 683-III-15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

श्रीमती सविता तिवारी पत्नी श्री मधुसूदन प्रसाद तिवारी, उम्र लगभग–48 वर्ष, पेशा–नौकरी, निवासी ग्राम–अँटरिया, थाना व पोस्ट–लालगाँव, तहसील–सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0)

————पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका

बनाम

1– म0प्र0 शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक मंडल रीवा गिर्द, तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0)

2– पटवारी महोदय, पटवारी हल्का–बोदा–24, रा0नि0मं0–रीवा गिर्द, तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0)

————गैरपुनरीक्षणकर्तागण/अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन–पत्र विरूद्ध आदेश न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल रीवा गिर्द, तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0) द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक–40अ12/13–14 में पारित निर्णय दिनांक 26/11/14

पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

श्री ... एड के द्वारा आज दिनांक 2-3-15 प्रस्तुत किया गया।
4786
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

पुनरीक्षणीय प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :–

A- आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा मौजा–अनंतपुर, प0ह0नं0–बोदा बाग–24, तहसील–हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0) अंतर्गत स्थित आराजी

(105)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.683–III / 2015 जिला–रीवा

श्रीमती सविता तिवारी / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल गिर्द रीवा, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 40 / अ–12 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 26.11.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	